

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्र करौंदा नाला, इमलिया मोड़, कटनी रोड़,

जबलपुर-482004 (म.प्र.)

E.mail- jdssanchi@gmail.com. jabalpur.sanchi@gmail.com

क.- 823/जेएसडीएस/विपणन-110/जबलपुर

दिनांक 01.09.2022

“अभिरुचि की अभिव्यक्ति”

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की आवश्यकता है।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर, एम.पी. को-ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एक ईकाई है एवं मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग का मध्यप्रदेश शासन सहकारी उपक्रम है, जो कि “साँची ब्राण्ड” नाम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय करता है। दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्र में साँची दूध, दुग्ध उत्पाद श्रीखण्ड, लस्सी, छेना रबडी, दही, पलेवर्ड मिल्क तथा साँची कुकीज, साँची हेल्थ वीटा प्लस, बटर चिपलेट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वैक्यूम पैक पनीर आदि के विक्रय हेतु विवरणवार दिये गये तहसील/विकासखण्ड/नगरीय निकाय में स्थानीय वितरक नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है:

क्र.	जिला	तहसील/विकासखण्ड/नगरीय निकाय का नाम	संपर्क नंबर
1.	जबलपुर	पाटन, बरेला, शहपुरा (भिटौनी), भेड़ाघाट, बरगी।	9425805645, 9406900503
2.	मंडला	नारायण गंज, बीजाडांडी, नैनपुर, मोचा (कान्हा पार्क)	7000058997
3.	कटनी/सतना	कैमोर, विजराघवगढ़, झुकेही, मैहर	7987268850
4.	नरसिंहपुर	गोटेगाँव, करेली, गाडरवारा	8962116434
5.	शहडोल	बुढ़ार	9165908569
6.	अनूपपुर	कोतमा	
7.	उमरिया	पाली, नौरोजाबाद, चंदिया	
8.	डिंडोरी	करजिया	
9.	छिंदवाड़ा	बिछुआ, हरई,, मोहखेड, सौसर।	9131702587
10.	बालाघाट	कटंगी, लांजी, बैहर, उकवा,	8251887051
11.	सिवनी	बरघाट, केवलारी, छपारा, लखनादौन	9407392919
12.	रीवा/सतना	मउगंज, सिरमौर, रामनगर, चित्रकूट	7354912344
13.	सीधी	चुरहट	
14.	सिंगरौली	बैढन, सिंगरौली, देवसर, चितरंगी, सरई ग्राम, माढा	7415732051

वितरक कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म जिनके पास मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क हो, को प्राथमिकता दी जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रपत्रों को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर कार्यालयीन समय में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये सूची में दिये गये संबंधित जिला प्रभारियों के मोबाईल नंबरों एवं जबलपुर मुख्यालय के मो. क्र., 9165908569, 8962116434 एवं 9406900289 पर संपर्क किया जा सकता है। यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक.....

मूल्य -100/-

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

साँची दूध एवं दुग्ध
उत्पाद वितरक कार्य
हेतु आवेदन प्रपत्र



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO 9001 : 2000 & 22000: 2005

+91 9406 900 500
+91 8305 225 239

www.sanchidairy.com
jabalpur.sanchidairy.com

करीब दुर्गापुर, कानी रोड,
सीतावन, जबलपुर, MP-481005 (INDIA)

GST: 23AAAAB485D126
PAN: AAAAJ0485D



कार्य का नाम— साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य।

1.	आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर प्राप्त करने की वेबसाइट	www.sanchidairy.com में जाकर टेण्डर कॉलम में जायें तत्पश्चात जबलपुर दुग्ध संघ के कॉलम में जाकर डाउनलोड करें।
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने का समय	समय प्रातः 10:00 से शाम 6:00 बजे तक
3.	आवेदनकर्ता का परिचय एवं आवश्यक अर्हता	प्रपत्र क्र. 01
4.	वितरक कार्य हेतु आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 02

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्य:—

1. प्रपत्र क्र. 01 "आवेदनकर्ता का परिचय तथा आवश्यक अर्हताएँ" एवं प्रपत्र क्र. 02 "वितरक कार्य की शर्तें" हस्ताक्षर कर एक बंद लिफाफे में रखकर संघ कार्यालय में जमा करें।
2. लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय/दुग्ध शीतकेन्द्र कार्यालय में समय प्रातः 10:00 से शाम 6:00 बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएँ सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
3. वितरक को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। जिसे वितरक को शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्यालय, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

डेयरी संयंत्र करौंदा नाला, इमलिया मोड़, कटनी रोड़,
जबलपुर-482004 (म.प्र.)

प्रपत्र क्र. 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
जबलपुर

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

आवेदनकर्ता का परिचय

1. आवेदनकर्ता का नाम
2. कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/
होने की दशा में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें.....
3. पिता का नाम
4. पता
5. फोन नं/मो. नं.
6. ई-मेल (अनिवार्य रूप से अंकित करे।)
7. वर्तमान व्यवसाय (यदि हो तो)
8. (a) पेन नंबर
- (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/स्वयं का)
- (b) जीएसटी नं
- (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/स्वयं का)
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में कार्य प्रारंभ से 15 दिवस की अवधि में संलग्न करें।)
- (c) आधार कार्ड नंबर
- (छायाप्रति संलग्न करें।)
9. एफएसएसएआई नं (फूड लायसेंस/रजिस्ट्रेशन)
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें।)
10. वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 के आयकर
रिटर्न की प्रमाणित प्रति संलग्न करें
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु छूट रहेगी।)
11. आवेदनकर्ता का जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य दुग्ध संघों के अधिकारियों, कर्मचारियों से कोई रक्त संबंध नहीं है, न ही वह आश्रित परिवार के सदस्य है, इस हेतु एवं आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है तथा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस हेतु तदाशय का रू 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र तैयार कर संलग्न करें। प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है। इसी के अनुरूप अवलोकन कर शपथ पत्र संलग्न करें।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

साँची दूध वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तः—

1. चयन प्रक्रिया—

दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान हेतु एकल आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोंपरांत उपयुक्त पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा। किसी भी स्थान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र आवेदनकर्ताओं में से वितरक का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

2. प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि—

सफल आवेदनकर्ता को प्रपत्र क्रमांक 04 में दी गई तालिका अनुसार निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि नगद/डिमांड ड्राफ्ट पेयबल एट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय समय दूध विक्रय में वृद्धि होने की दशा में प्रतिभूति राशि में बढ़ोत्तरी की जावेगी।

3. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) का आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होने के उपरांत दूध वितरक कार्य हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करने व आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रतिभूति राशि, फूड लायसेंस/रजिस्ट्रेशन/जीएसटी नम्बर तथा अनुबंध का निष्पादन रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर दो जमानतदार के साथ जिसमें एक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन स्लिप जो कि संबंधित विभाग अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो मय आधार कार्ड, फोटो सहित जमा करेंगे। इसी तरह एक प्राइवेट कर्मचारी के आधार कार्ड, फोटो सहित एक माह में जमा करेगे। अन्यथा निर्धारित समय में औपचारिकताएँ पूरी न करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

4. सफल आवेदनकर्ता को वितरक कार्य प्रारंभ होने पर प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद की मांग अपरान्ह 3:00 बजे तक एवं दूध की मांग रात्रि 8:00 बजे तक ईआरपी एप के माध्यम से ऑनलाईन देना होगा। दूरभाष पर एवं तय समय के उपरांत मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी।

5. सफल आवेदनकर्ता को प्रतिदिन उनकी मांग के अनुसार दुग्ध संघ के अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा दूध वितरित होगा। अतः दूध के पैकेट्स एवं क्रेट्स की जांच, परख व गिनती आवेदनकर्ता अच्छे से करें एवं खाली क्रेट प्रतिदिन वापस करें तथा लेखा-जोखा संधारित करें।

6. सफल आवेदनकर्ता उनके अधीनस्थ दूध विक्रय एजेंटों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विक्रेता दरों पर ही दूध विक्रय करेंगे।

7. सफल आवेदनकर्ता का वितरक कार्य प्रारंभ होने पर प्रतिदिन प्रदायित दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा राशि जमा न करने की दशा में दूध प्रदायगी नहीं की जावेगी।

8. वितरक की अनुबंध अवधि—

- वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में आपसी सहमति से एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्षों हेतु अनुबंध अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जबलपुर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सफल आवेदनकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत 07 दिवस की अवधि में वितरक कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वीकृत कार्य निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जबलपुर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
 10. वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय लक्ष्य निर्धारित होंगे। जिसे प्राप्त करना वितरक को अनिवार्य होगा। प्रत्येक तीन माह में लक्ष्यों की समीक्षा की जावेगी। लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त न होने एवं वितरक कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में वितरक कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
 11. वितरक दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अभद्रता/ अनुशासनहीनता नहीं करेंगे अन्यथा उनका वितरक कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 12. वितरक प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय/वितरण नहीं करेंगे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाये जाने पर वितरक कार्य निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
 13. वितरक अपने स्तर से भी दूध विक्रय एजेंट तैयार करेंगे एवं उक्त विक्रय एजेंट को दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रजिस्टर्ड कराएंगे।
 14. वितरक अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे।
 15. इच्छुक आवेदनकर्ता दूध एवं दुग्ध उत्पाद कार्य हेतु स्थानीय परिवहन दर/वितरक मार्जिन/विक्रेता मार्जिन एवं आवेदन भरने से संबंधित जानकारी तथा वितरक कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालयीन दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
 16. सफल आवेदनकर्ता को चालू खाते के 05 हस्ताक्षरित चेक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में दुग्ध संघ को वितरक से किसी भी मद में बकाया राशि/क्रेट लेना शेष होने पर उक्त धनादेश (चेक) के माध्यम से वसूली की जाएगी।
 17. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जबलपुर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा।
 18. सफल आवेदनकर्ता को अपने स्वयं के नाम से चालू खाते से दूध विक्रय की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदनकर्ता (वितरक) किसी अन्य खाते से विक्रय राशि जमा करने है तो इस दशा में इस प्रकार की जमा राशि अमान्य होगी।
 19. आवेदनकर्ता का जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य दुग्ध संघों के अधिकारियों, कर्मचारियों से कोई रक्त संबंध नहीं है, न ही वह आश्रित परिवार के सदस्य है, इस हेतु एवं आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है तथा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस हेतु तदाशय का रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र तैयार कर संलग्न करें। प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है। इसी के अनुरूप अवलोकन कर शपथ पत्र संलग्न करें।

20. वितरक कार्य हेतु चयन होने पर आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र अनुसार दुग्ध संघ से रू. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध की शर्तों का प्रारूप परिशिष्ट '05' पर संलग्न है।

घोषणा-

मेरे/हमारे द्वारा वितरक कार्य के सभी नियम एवं शर्तों के भलीभांति अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, मेरे/हमारे विरुद्ध जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.....



GST: 23AAAAJ0485E1176
PAN: AAAAJ0485E1

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO 9001 : 2000 & 22000 2005

+91 9436 960 500
+91 8005 225 339

मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960
अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
जबलपुर, मध्य प्रदेश



प्रपत्र क्र. 03

(शपथ पत्र (केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें))

मैं/हमनिवासी..... जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत (स्थान का नाम) हेतु दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक कार्य के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि

1. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल, किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समिति के सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे/हमें कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही करेगा मैं/हम उसे मानने को बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

दिनांक-

हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

.....



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
ISO 9001 : 2000 & 22000 : 2005

+91 9406 900 500
+91 8305 225 326

www.sanchi.jabalpur.com
sanchi@gnof.com

करीब-सतना, कर्वा, 415
सांखरी, जबलपुर 482001

GST: 23AAAAPJ185D1ZB
PAN: AAANJ0485P



प्रपत्र क्र.04

**सांची दूध वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची, प्रतिभूति/सुरक्षा
निधि राशि एवं दूध विक्रय लक्ष्य की जानकारी**

1. जिला जबलपुर अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	पाटन	50000	100
2	बरेला	50000	100
3	शहपुरा (भिटौनी)	50000	100
4	भेड़ाघाट	50000	100
5	बरगी	50000	100

2. जिला मंडला के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य :-

क्र	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	नारायण गंज	50000	100
2	बीजाडांडी	50000	100
3	मोचा (कान्हा पार्क)	50000	100
4	नैनपुर	100000	200

3. जिला कंटनी/सतना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	कैमोर	50000	100
2	विजराघवगढ़	50000	100
3	झुकेही	50000	100
4	मैहर	100000	300

4. जिला नरसिंहपुर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	गोटेगाँव	50000	100
2	करेली	100000	200
3	गाडरवारा	100000	300

5. जिला शहडोल के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	बुढ़ार	50000	100

6. जिला अनूपपुर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	कोतमा	50000	100

7. जिला उमरिया के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	पाली	50000	100
2	नौरोजाबाद	50000	100
3	चंदिया	50000	100

8. जिला डिंडोरी के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	करंजिया	50000	100

9. जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	बिछुआ	50000	100
2	हरई	50000	100
3	मोहखेड	50000	100
4	सौंसर	100000	300

10. जिला बालाघाट के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:—

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	कटंगी	50000	100
2	लांजी	50000	100
3	बैहर	50000	100
4	उकवा	50000	100

11. जिला सिवनी के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति / सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	बरघाट	50000	100
2	केवलारी	50000	100
3	छपारा	50000	100
4	लखनादौन	50000	100

12. जिला रीवा / सतना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति / सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	मउगंज	50000	100
2	सिरमौर	50000	100
3	रामनगर	50000	100
4	चित्रकूट	100000	300

13. जिला सीधी के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति / सुरक्षा निधि राशि रु.	दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	चुरहट	50000	100

14. जिला सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल एवं प्रारंभिक विक्रय लक्ष्य:-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित प्रतिभूति / सुरक्षा निधि राशि रु.	न्यूनतम दूध विक्रय लक्ष्य लीटर प्रतिदिन
1	बैढ़न	50000	100
2	सिंगरौली	50000	100
3	छेवसर	50000	100
4	चितरंगी	50000	100
5	सरई ग्राम	50000	100
6	माढ़ा	50000	100

नोट:-वितरकों को न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। लक्ष्यों का समय-समय पर पुनरीक्षण भी किया जावेगा।

-उपरोक्त वर्णित निर्धारित सुरक्षा निधि राशि को भी समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। विक्रय बढ़ने पर 05 दिन के विक्रय समतुल्य राशि सुरक्षा निधि मद में जमा कराना अनिवार्य होगा।

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, जबलपुर, जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्री से बतौर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा क्षेत्र के लिए दिनांक..... से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा यदि साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को दुग्ध संघ में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि आवेदन प्रपत्र में मांगे गये क्षेत्र अनुसार दुग्ध संघ कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु जमा होगी किन्तु प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि प्रतिदिन जमा करना होगी।
3. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति/सुरक्षा निधि वितरक कार्य अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को दुग्ध संघ द्वारा चाही गई प्रतिभूति/सुरक्षा निधि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	क्षेत्र का नाम	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रूपये (निर्धारित औसत विक्रय पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को औपचारिताएँ पूर्ण करने हेतु पत्र जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति/सुरक्षा निधि (प्रतिदिन विक्रय किये जा रहे दूध के मूल्य के पाँच गुना के बराबर) दुग्ध संघ में जमा करना होगा बगैर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि जमा किये कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 माह बाद किया जावेगा अर्थात् 03 माह बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पाँच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि जमा करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अगर पूर्व से वितरक हैं तो नो ड्यूज प्रदान करना होगा।

5. निविदाकार द्वारा नियुक्ति उपरांत कार्य संतुष्ट न पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन या लापरवाही करने पर एक नोटिस भेजकर पृथक किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
6. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक आवंटित क्षेत्र में स्थित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में क्षेत्र के अंतिम विक्रय केन्द्र तक दूध व दुग्ध पदार्थ स्वयं की परिवहन व्यवस्था से पहुँचाकर प्रदाय करना होगा।
7. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से मांग अनुसार दुग्ध संघ से अनुबंधित दुग्ध परिवहनकर्ता के माध्यम से विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में अथवा संयंत्र में तकनीकी

गड़बड़ी होने की दशा में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।

8. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक, दुग्ध विक्रय एजेंटों को दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएंगे/न बढ़ायेगें।
9. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगद भुगतान पर विक्रय एजेंट को देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय एजेंटों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की स्थिति में नोटिस देकर वितरक का कार्य समाप्त कर सकेगा व ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा।
10. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य प्रमाणित उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।
11. दुग्ध संघ वितरण स्थल तक दुग्ध संघ से अनुबंधित दुग्ध परिवहनकर्ता के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को पहुँचाकर देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। वितरण स्थल पर वितरक गिनकर, जाँचकर, ग्रहण करेंगे एवं परिवहनकर्ता को प्राप्ति देंगे एवं स्वयं की परिवहन व्यवस्था से उचित प्रशीतन (टेम्परेचर मेंटेन कर) रिटेल एजेंटों को समय अवधि में पहुँचाकर देना होगा। दुग्ध वितरण के पश्चात् गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
12. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक, दुग्ध परिवहनकर्ता से प्राप्त क्रेटस/खाली क्रेट वापसी का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा एवं प्रत्येक 15 दिवस के अंत में दुग्ध परिवहनकर्ता से मिलान करना होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक से क्रेटस की बाजार अनुरूप प्रतिक्रेट राशि अनुसार पेनल्टी एवं क्रेट/केन का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेटस दुग्ध परिवहनकर्ता को प्रतिदिन वापस कराना अनिवार्य होगा।
13. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
14. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रतिमाह 05 बढ़ानी होगी। साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर आवंटित विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है। यह कि प्रत्येक माह के अंत में उभय पक्ष दूध प्रदाय एवं उसकी राशि का हिसाब-किताब का मिलान करेंगे एवं माह की अंतिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती है, वह साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा जमा करायी जावेगी। वितरक द्वारा मिलान न करने पर दुग्ध संघ अनुसार जो राशि लेना-देना निकलती है, वह मान्य होगी।
15. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक अपने क्षेत्र में अगर कोई नयी एजेंसी खोलता है तो उसकी लिखित सूचना उसे दुग्ध संघ को देना होगी।
16. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को आवंटित क्षेत्र के बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व स्वयं साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक का होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी/अन्य के द्वारा किसी भी भुगतान के लिये दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी द्वारा प्रदायित माल की राशि न देने पर दूध बंद करने की जानकारी वितरक द्वारा दुग्ध संघ को पूर्व में देना होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रों द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
17. वितरक द्वारा स्थानीय वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड रू. 5000/- का अधिरोपण किया जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर वितरक कार्य निरस्त करते हुए उसकी प्रतिभूति/सुरक्षा राशि राजसात कर सकेगा।

18. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तान्तरित (Sublet) नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी सुरक्षा निधि (प्रतिभूति राशि) राजसात कर सकेगा।
19. दुग्ध संघ को देय समस्त प्रकार के भुगतान में विलंब किये जाने पर 18% की दर से ब्याज अतिरिक्त राशि साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक से वसूल किया जावेगा।
20. दुग्ध संघ द्वारा समय समय पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बावत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक बाध्य होगा। निर्धारित अनुसार लक्ष्य पूर्ति न पाये जाने पर एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त किया जावेगा।
21. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। उक्त पावती दुग्ध संघ द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि वितरक से वसूल की जावेगी।
22. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक प्रतिमाह आवश्यकतानुसार क्षेत्र के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
23. दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को समय-समय पर दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही एक नोटिस मात्र देकर की जावेगी।
24. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये वितरक बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के क्षेत्रों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को विभाजित किया जा सकेगा।
25. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को शासन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसआई) जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
26. दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से प्रतिदिन जमा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि लंबित होने पर 18% की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा, जो कि वितरक पर बंधनकारी होगा तथा संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। अपरिहार्य स्थिति में जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/सर्वर डाउन होने अथवा लेनदारी लंबित होने आदि की स्थिति में धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जायेगा। इस हेतु वितरक द्वारा स्वयं की हस्ताक्षरित 05 चैक उपलब्ध करानी होगी, जिस पर चैकों पर दिनांक उल्लेखित नहीं होगी। एमपीसीडीएफ के नियमानुसार वितरक द्वारा धनादेश अनादरित होने की स्थिति में वितरक पर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
27. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के किसी भी चेक के अनादरित होने पर चेक की मूल राशि के साथ-साथ अर्थदण्ड की राशि रु. 1000/- वितरक द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जावेगा। बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वर डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण उपलब्ध कराने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा।
28. राशि जमा न होने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि, बैंक गॉरंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
29. वितरक अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक से वसूल की जावेगी।

30. वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
31. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाएँ अनुबंध का ही भाग होंगी। जिसका शतप्रतिशत पालन वितरक को करना होगा। वितरक द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
32. यह कि श्री/मेसर्स आवंटित क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के रूप में परिवहन दर रूपये एवं वितरक मार्जिन पैसे प्रति ली. पर कार्य करेंगे। जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
33. वितरक को आवंटित क्षेत्र में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूजिव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वितरक को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर मार्जिन पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद स्वयं की परिवहन व्यवस्था से बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी को मांग अनुसार पहुँचाकर दिया जाना अनिवार्य होगा, जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
34. यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के मध्य दिनांक को निष्पादित किया गया है। यह अनुबंध कार्य आरंभ करने की दिनांक से तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित स्थानीय परिवहन दर एवं वितरक मार्जिन पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। कार्य अवधि बढ़ाये जाने पर उक्त अनुबंध की समस्त शर्तें आगामी वृद्धित अवधि के लिये भी प्रभावशील मानी जावेंगी।
35. यदि पक्षकारों के बीच इस अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
36. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के मध्य निष्पादित किया गया है, अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभयपक्षों के मध्य विवादों के संबंध में संमस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवं न्यायलीय क्षेत्राधिकार जबलपुर होगा।
37. आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट क्रमांक 02 में उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तें भी इस अनुबंध का हिस्सा होकर वितरक को मान्य होंगी।
38. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

अनुबंध की कंडिका 01 से 38 तक वर्णित नियम व शर्तों का साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। वितरक को प्रपत्र 02 में वर्णित नियम व शर्तें तथा अनुबंध की कंडिका 01 से 38 तक का पालन करना अनिवार्य होगा।

में पिता/पति/पत्नी.....
साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक क्षेत्र अपना उत्तराधिकारी (नाँमिनी) श्री/श्रीमति.....
..... को घोषित करता/करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक ----- को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के निर्देशानुसार साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
वितरक

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

नाम-----

पता-----

प्रभारी (विपणन)
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

प्रभारी/प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र/जिला प्रभारी (विपणन)
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....